## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी– मूलचंद, आर.ए.एस.

अपील संख्या 118/1996/ 75 एल आर एक्ट
राजाराम पुत्र श्री अमरसिंह जाति जाट निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1–बलवानसिंह
2–वेद प्रकाश
3–सतवीर
4–भगतसिंह
} पुत्रगण गोविन्द राम पुत्र दुरजाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5–मु0 संतोष पुत्री गोविन्दराम पुत्र दुरजाराम जाति अहीर निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6–मु0 लिछमा (नाम विलोपित)
7–स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़

––असल रेस्पोडेन्ट

8–हरदेवाराम } पि0 अमरसिंह जाति [illegible] निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला
9–समुद्रसिंह } हनुमानगढ़।
10–गुगनराम पुत्र अमीलाल जाति [illegible] निवासी चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11–रामस्वरूप (नाम विलोपित)
12–लिछमा } श्री गुगनराम जाति [illegible] निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला
13–जयकौरी } जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.05.1996 व 11.06.1996
न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या
2522/1996 बउनवान गोविन्दराम बनाम सरकार।

उपस्थितः–
श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 5,
श्री आशीष भीडासरा अधिवक्ता रेस्पो संख्या 13
श्री अशोक भादू अधिवक्ता रेस्पो संख्या 8 ता 10
श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7

### निर्णय

दिनांक .15.03.2019

1.– प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय गुगनराम वल्द रामसुख से चक 2 मुन्सरी की 10 बिघा 14 बिस्वा अनकमाण्ड भू जरिये बैयनामा गुगनराम से गोविन्दराम द्वारा दिनांक 03.01.1967 में खरीद कि जाने के कारण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 ए के अन्तर्ग बेचान करने से पूर्व स्वीकृत नहीं लिये जाने के कारण नियमन हेतू आवेदन प प्रस्तुत होने पर शमन राशि जमा करवाई जाकर बैयनामा दिनांक 03.01.1967 क नियमन करने का आदेश दिया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा य अपील प्रस्तुत की गई है।

2.– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3.–विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुए यह कथन किया कि मनीराम पुत्र नानूराम को चक 2 एस एस आर में दिनांक 16.02.1960 को 11 बिघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित हुई जिसकी सनद दिनांक 12.10.1989 को जारी हुई मनीराम के फौत होने पर यह भूमि उसके भाई गुगनराम पुत्र नानूराम को प्राप्त हुई,गुगनराम की मृत्यू के पश्चात यह भूमि रेस्पो0 11 ता 13 के नाम दर्ज हुई। रेस्पो0 संख्या 11 व 12 ने अपने हिस्से की भूमि रेस्पो0 संख्या 8 ता 10 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17.11.1993 को विक्रय कर दी जिस आधार पर उनके नाम नामान्तरंण दर्ज हो गया। जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने सिविर भादरा में वादग्रस्त भूमि 10 बिघा 14 बिस्वा का नामान्तरण रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के पिता, 6 के पति के पक्ष में दर्ज कर दिया जबकि इससे पूर्व अपीलान्ट के नाम से प्रश्नगत भूमि का इतंकाल दर्ज था अधिनस्थ न्यायालय ने बैयनामा दिनांक 03.01.1967 की सत्यता की बिना जांच किये एवं इस बैयनामे निष्पादन से पूर्व गुगनराम की मृत्यू हो चुकी थी की [illegible] जांच किये उसके वारिसान को बिना रिकार्ड पर लिये विकयपत्र धारा 42 [illegible] काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के प्रतिकूल होने पर विधि विरूद्ध आदेश [illegible] किया है जो निरस्ती योग्य है एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने [illegible] अपने कथनो के समर्थन में 2006 आर आर टी पेज 226 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

4.– विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि गुगन ने सन् 1967 में ही भूमि गोविन्दराम को विक्रय [illegible] की थी गुगनराम का बेटा जो रेस्पो0 संख्या 11 है बैयनामे पर पहचान [illegible] में उसके हस्ताक्षर है। अपीलान्ट 1965 में ही गुगन की मृत्यू के संबंध में कोई मृत्यू प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जबकि रेस्पोडेन्ट ने कुर्सीनामा जो पत्रावली संख्या 205 मनीराम वल्द नानूराम की पत्रावली में प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 24.08.1966 को सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर द्वारा कुर्सीनामा पर गुगनराम के हस्ताक्षर है व इसी दिनांक को तहसीलदार भादरा के यहां गुगनराम द्वारा आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिस पर गुगनराम के अंगूठा निशानी है जिससे स्पष्ट है कि 1965 में गुगनराम फौत होने के कथन अपीलान्ट ने मिथ्या किये है। बैयनामे के दिन से गोविन्दराम एवं उसके फौत होने के पश्चात उसके वारिसान का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। धारा 13 ए की उल्लघना के कारण प्रभावशील होने के कारण नामातंकरण बैयनामे के आधार पर पूर्व में दर्ज नहीं हुआ था। रेस्पो0 संख्या 11,12 द्वारा अपीलान्ट को जो भूमि 1993 में विक्रय की है वह बाद का विक्रयपत्र है जो प्रभावशुन्य है। धारा 42 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए इस प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है एवं इसे भूतलक्षी होने का प्रावधान किया गया है। प्रथम विक्रय विधि सम्मत है उसी आधार पर सम्पूर्ण जांच कर अधिनस्थ न्यायालय ने बेचान का नियमन किया गया है जो विधि सम्मत है अपील अपीलान्ट कतई पोषणीय नहीं है जिसे खारिज किये जाने का कथन किया। अप कथनो क समर्थन में आर बी जे 1998 पेज 322, आर आर टी 2017 पेज 740, आ आर सी 1989 पेज 397 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5.–उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोक किया व न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया।

6– जहा तक अपील के मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है अपील व निर्णय गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने एवं अपीलान्ट के विचारण न्यायालय के सम पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुती में हुई देरी कन्डोन किये जाने योग्य

नियन 27 सी पी सी जो रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज बैयनामा प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 03.01.1967 रिपोर्ट मौका जांच आई एल आर दिनांक 11.01.1991 व 29.05.1991 एवं कुर्सीनामा ग्राम पंचायत भोजासर दिनांक 24.08.1966 एवं आवेदन पत्र गुगनराम दिनांक 24.08.1966 व फर्दअहकाम पत्रावली संख्या 205 आवंटन डी सी हनुमानगढ मनीराम पुत्र नानकराम प्रस्तुत की है जो अपील प्रकरण के निस्तारण में सुसंगत दस्तावेज होने के कारण उन्हें न्यायहित में अभिलेख पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

7– अपीलान्ट ने अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.1996 जिससे गोविन्दराम पुत्र श्री दुरजाराम द्वारा चक 2 मुन्सरी की 10 बिघा 14 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र गुगनराम पुत्र रामसुख से बिना श्रीमान जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति से विक्रय होने पर विक्रेता द्वारा शमन फीस जमा करवाये जाने के पश्चात बैयनामा दिनांक 03.01.1967 को नियमन किया गया है से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 8 ता 10 के हक में दिनांक 17.11.1993 को [illegible] 11 व 12 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा भूमि विक्रय करने के आधार पर [illegible] पर अपना स्वत्व होने का कथन कर रहे है परन्तु अपीलांट के हक में [illegible]नामा तस्दीक हुआ है वह पश्चातवर्ती है पूर्व में रेस्पो0 संख्या 11,12 के पिता [illegible]राम जब प्रश्नगत भूमि का बैयनामा दिनांक 03.10.1967 को गोविन्दराम के हक में निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा चुके है एवं बैयनामे पर बतौर गवाह रामस्वरूप पुत्र गुगनराम के हस्ताक्षर अंकित है तो प्रथम रजिस्टर्ड बैयनामे एवं उसमें [illegible] कथन जो आज से लगभग 51 वर्ष पुराने है जिसे सही न माने जाने का [illegible] समक्ष कोई कारण नहीं है। इस बयनामे को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है एवं आज भी प्रभावी है। इसके आधार पर पूर्व में राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं करने का आधार राज. उप. अधीननियम की धारा 13 में तत्समय प्रभावी प्रावधान का होना अंकित किये हैं एवं धारा 13 ए के प्रभाव में आने पश्चात नामान्तरण दर्ज होना बताया है। यह उचित कारण प्रतीत होता है जब पूर्व में ही विवादग्रस्त भूमि का बेचान हो चुका था तो पश्चातवर्ती बेचान वोईड है। जहां तक विवादग्रस्त भूमि पर कब्जे का प्रश्न है अपील की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट की और से पस्तुत आदेश 041 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियो के अनुसार गिरदावर की रिपोर्ट में विवादग्रस्त अराजी पर बलवान वगैरा का कब्जा बताया है अपीलाण्ट द्वारा अपील में गुगन राम को 3–1–1967 को पंजीकृत बेयनामा की तिथी से पूर्व 1965 में होना अंकित किया है जब कि पंचायत द्वारा कुर्सीनामा की सलंगन प्रमाणित प्रति के अनुसार 24–8–66 को गुगनराम मौजुद रहना अंकित किया है। अपीलाण्ट द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है कि गुगनराम की मुत्यु 1965 में हुई अथवा बेयनाम दिनांक 3–1–1967 से पुर्व हुई। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 पेज 740 रेस्पोडेन्ट के कथनो का समर्थन करते है एवं प्रथम बैयनामे के आधार पर अभिलेख में खरीददार गोविन्दराम का नाम अंकित नहीं हो से भी गोविन्दराम एवं उनके वारिसान के स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैस कि आर आर सी 1989 पेज 397 में अभिनिर्धारित किया गया है। जहां तक धार 42 ए का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारणां पारित की है कि धार 42 ए को हटाने का प्रभाव भूतलक्षी प्रकृति का है उपरोक्त स्थिति में अपी अपीलान्ट खारिज योग्य बनती है एवं अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग है।

8.– अत: उक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने के आधार खारिज की जाती है व अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 28.05.1996 व 11.06.1996 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचंद) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)